डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

आवेदन पत्र

कार्य का नामः– निर्माण कार्य से निकला मलबे की नीलामी।

स्थानः– जे0पी0 सभागार, स्वामी विवेकानन्द परिसर, खन्दारी, आगरा।

तिथि एवं समयः दिनांक 14.07.2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे।

धरोहर राशिः– रुपये 5,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, वित्त अधिकारी, डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में।

अन्तिम तिथिः– दिनांक 13.07.2026 तक।

आवेदनकर्ता/फर्म की जानकारीः–

(क)	आवेदक फर्म का नाम :– (कंपनी प्रोफाइल संलग्न करें)	
(ख)	स्वामी/प्रोपराइटर/निदेशक का नाम :–	
(ग)	स्थापना वर्ष :–	
(घ)	पंजीकृत कार्यालय का पता :–	
(ङ)	दूरभाष संख्या :–	
(च)	फैक्स संख्या :–	
(छ)	ई–मेल पता :–	
(ज)	गत वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार (टर्नओवर):–	
(झ)	संलग्न अभिलेखों की जाँच सूचीः–	
	1. आधार कार्ड	
	2. पेन कार्ड	
	3. जी0एस0टी0 संख्या	

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(NAAC Accredited with 'A+' Grade)

Website: dbrau.ac.in Email: registrar.dbrau.ac.in@gmail.com

दिनांकः 27 / 06 / 2026

नियम व शर्तें

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में निर्माण कार्य से निकला मलबे की नीलामी विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानन्द परिसर, खन्दारी के जे0पी0 सभागार में दिनांक 14.07.2026 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे निलामी की जायेगी। नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः एवं अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में बाध्यकारी होगा।

1. नीलामी प्रक्रिया प्रतिभाग करने वाली प्रत्येक फर्म को धरोहर राशि के रूप में रुपये 5,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, वित्त अधिकारी, डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में जमा करानी होगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन से दिनांक 13.07.2026 तक कार्यालयावधि में स्टोर विभाग में जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. इसके अतिरिक्त निलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले फर्मो द्वारा अधिकृत व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं एक फोटो दिनांक 13.07.2026, सांय 5:00 बजे तक स्टोर विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोलीदाता के रूप में चयनित फर्म द्वारा मलवा उठाने से पूर्व रुपये 40,000/– टोकन मनी विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा, जिसके उपरान्त चयनित फर्म द्वारा विश्वविद्यालय की समिति के समक्ष मलबा उठाने का कार्य किया जयेगा, यदि मलबा (प्रति ट्रॉली/डम्पर का बोली मे लगाया गया मूल्य x ट्रॉली/डम्पर की संख्या) रुपये 40,000/– से अधिक हो जाता है तो उक्त फर्म द्वारा बचे हुए मलबे हेतु समिति द्वारा अनुमानित मात्रा के अनुसार अग्रिम धनराशि जमा करके मलबा उठाया जा सकेगा। अगर कार्य समाप्त होने के पश्चात् मलवा कम/अधिक पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार शेष धनराशि फर्म से/को जमा/वापस करायी जायेगी। उक्त कार्य का सत्यापन नीलामी समिति के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नीलामी प्रक्रिया में चयनित फर्म द्वारा मलवा उठाने से पूर्व रुपये 40,000/– टोकन मनी विश्वविद्यालय में जमा नही कराया जाता है तो उक्त फर्म द्वारा धरोहर राशि के रूम में जमा रुपये 5,000/– जब्त कर लिये जायेगी।
5. नीलामी धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा। निविदा निरस्त किये जाने का अन्तिम निर्णय मा0 कुलपति जी का होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
6. सामान की नीलामी "जहाँ है, जैसा है," के आधार पर की जायेगी।
7. जो फर्मे पूर्व में ब्लैकलिस्टेड होंगी वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी।

8. नीलामी युक्त मलबे की अनुमामित मात्रा लगभग 200 ट्रैक्टर ट्राली अथवा 40 डम्पर है।
9. इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर मलबे का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. सर्वाधिक बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता माना जाएगा, परंतु नीलामी स्वीकार अथवा निरस्त करने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निर्धारित समय में भुगतान न करने पर जमा की गई धरोहर राशि (Security Deposit) जब्त की जा सकती है तथा नीलामी निरस्त की जा सकती है।
12. मलबा उठाने का समस्त व्यय (लोडिंग, परिवहन, श्रमिक, कर आदि) सफल बोलीदाता स्वयं वहन करेगा।
13. मलबा उठाने के दौरान परिसर, भवन, सड़क, पाइपलाइन, विद्युत व्यवस्था अथवा अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी भरपाई सफल बोलीदाता करेगा।
14. मलबा हटाने का कार्य 05 दिवस के भीतर पूरा करना होगा। विलंब होने पर विभाग आवश्यक कार्रवाई या अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार रखेगा।
15. मलबा हटाने के दौरान सभी सुरक्षा मानकों एवं लागू कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र आगरा होगा।
17. नीलामी से संबंधित किसी भी नियम में संशोधन अथवा नीलामी को बिना कारण बताए स्थगित/निरस्त करने का अधिकार विभाग/संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
18. नीलामी प्रक्रिया आवेदक स्वंम अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रतिभाग किया जायेगा।
19. सर्वाधिक बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता द्वारा उक्त मलबे का प्रयोग किसी अवैधानिक कृत्य के लिए नहीं किया जायेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्त मलबे का प्रयोग किसी अवैधानिक कृत्य के लिए किया जाता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।

कुलसचिव